हाउसिंग स्कॉटलैंड ऐक्ट 2006 (Housing Scotland Act 2006) के सेक्शन 22(1) के अंतर्गत prhp को आवेदन देने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

हाउसिंग (स्कॉटलैंड) ऐक्ट 2006 [Housing (Scotland) Act 2006] के अंतर्गत यह तय करने के लिए कि क्या आपके मकान मालिक, मरम्मत के मानदंड पूरा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, **prhp** को लिखित आवेदन दिया जाना **ज़रूरी** है। **prhp** के आवेदन फ़ॉर्म (**prhp1**) में बताया गया है कि आपको कौन–कौन सी जानकारी उपलब्ध करानी है। यदि आप निजी किराये के आवास पैनल (आवेदन तथा निर्धारण) (स्कॉटलैंड) नियमन 2007 [Private Rented Housing Panel (Applications and Determinations) (Scotland) Regulations 2007] के पैराग्राफ़ 3 के अनुसार सभी वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराते, तो हम आपके आवेदन पर विचार नहीं करेंगे।

आपका आवेदन या तो अंग्रेज़ी में होना चाहिए या उसके साथ एक प्रमाणीकृत अनुवाद संलग्न होना चाहिए।

यह फ़ॉर्म काली स्याही और बड़े व स्पष्ट अक्षरों में पूरा किया जाना चाहिए और लागू होने वाले सभी उपयुक्त बॉक्सों में सही (✓) का निशान लगाया जाना चाहिए।

आपके आवेदन की एक प्रति आपके मकान मालिक को भेजी जायेगी।

1. किरायेदार का विवरण

कृपया इस खंड में किये गये अनुरोध के अनुसार अपना नाम और संपर्क का ब्योरा दें।

आपको अपना टेलीफ़ोन नंबर या ई–मेल पता देना अनिवार्य तो नहीं है लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा करें। इस जानकारी से, हम ज़रूरत पड़ने पर आपसे कम समय के अंदर संपर्क कर सकते हैं।

2. आवेदन भरने में मदद करने वाले आपके प्रतिनिधि का विवरण

आप अपने मामले को स्वयं आगे बढ़ा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से अपना प्रतिनिधित्व करने को कह सकते हैं। लेकिन, कृपया ध्यान रखें कि यदि आप किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए पैसे देते हैं तो अपने आवेदन के सफल रहने पर भी उस ख़र्च का दावा नहीं कर सकेंगे।

यदि आप अपने आवेदन में किसी तृतीय पक्ष से प्रतिनिधित्व कराने की सोच रहे हैं, तो कृपया उस व्यक्ति का पूरा ब्योरा दें जो आपकी ओर से कार्य करेगा।

2.g यदि आप इस प्रश्न के उत्तर में "हाँ" पर निशान (✓) लगाते हैं तो आगे का पूरा पत्राचार आपको न भेज कर आपके नामित प्रतिनिधि को भेजा जायेगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते, तो कृपया "नहीं" पर निशान (✓) लगायें।

यदि भविष्य में आप किसी समय अपना प्रतिनिधित्व नहीं करवाना चाहते या अपना प्रतिनिधि बदलते हैं तो हमें तुरन्त लिखित रूप में सूचित कर अपने नए प्रतिनिधि का नाम और पता बताएँ। आपको इसकी सूचना अपने मकान मालिक को भी अवश्य देनी चाहिए। आपके द्वारा सूचना प्राप्त होने पर हम भविष्य में होने वाले सभी पत्राचार सीधे आपको या आपके नए प्रतिनिधि को भेजेंगे।

3. आपके मकान मालिक का विवरण

कृपया इस खंड में अपने मकान मालिक के बारे में जितनी अधिक जानकारी दे सकें, दें।

3b. यदि आप अपने मकान मालिक का नाम नहीं जानते क्योंकि आपने अपना घर किसी किराये पर देने वाली एजेंसी या अन्य तृतीय पक्ष से लिया है, तो कृपया उस एजेंसी या तृतीय पक्ष का नाम और पता दें।

4. आपकी शिकायत का विवरण

prhp द्वारा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि आपने आवेदन में उल्लिखित कार्य कराने के बारे में मकान मालिक को सूचित नहीं किया है। मकान मालिक द्वारा मरम्मत के मानदंडों के अनुपालन का कर्तव्य तभी लागू होता है, जब मकान मालिक को यह मालूम हो कि उस काम की ज़रूरत है। **prhp** को आवेदन देने से पहले यह **ज़रूरी** है कि आपने अपने मकान मालिक को यह नोटिस दे दिया हो कि आवेदन में उल्लिखित काम कराने की ज़रूरत है।

4a. कृपया अपनी लीज़, किरायेदारी के समझौते या रेंट बुक की एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। जब तक कोई अंतिम फ़ैसला नहीं होता, तब तक हम इन दस्तावेज़ों को अपने पास रखेंगे। आपका मामला समाप्त हो जाने पर ये दस्तावेज़ आपको लौटा दिये जायेंगे। यदि आप ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा सकते, तो कृपया अपनी किरायेदारी के बारे में जितनी अधिक जानकारी दे सकते हों, एक अलग कागज पर लिखकर दें। कागज के ऊपर अपना नाम और पता भी लिख दें ताकि साफ़ पता चले कि यह आपके आवेदन का हिस्सा है।

4b. अपना आवेदन जमा करते समय आपको यह सबूत भी पेश करना होगा कि आपने मकान मालिक को आवेदन में उल्लिखित कार्य करने की ज़रूरत के बारे में सूचित कर दिया था। यह सबूत, मरम्मत के बारे में आपके और आपके मकान मालिक के बीच पत्र–व्यवहार की प्रतिलिपि हो सकता है। अपने मकान मालिक को पत्र लिखते समय, अच्छा रहेगा अगर आप अपने पत्र की एक प्रतिलिपि रख लें और पत्र को **रिकॉर्डेड डिलीवरी** डाक से भेजें। इस तरह आप सूचित करने के सबूत के तौर पर अपने पत्र की प्रतिलिपि और रिकॉर्डेड डिलीवरी का प्रमाणपत्र पेश कर सकते हैं।

अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए यह ज़रूरी है कि मकान मालिक आवश्यक कार्य एक वाजिब समय के अंदर कराये। यह "वाजिब समय" क्या है, यह आवश्यक कार्य की प्रकृति पर निर्भर है।

4c. कृपया उस बॉक्स या बॉक्सों पर निशान (✓) लगायें, जो आपके मरम्मत के कार्य (कार्यों) को सबसे सही ढंग से परिभाषित करते हों। जितने बॉक्स लागू होते हों, आप सभी पर निशान (✓) लगा सकते हैं। रिक्त स्थान में यह ब्योरा दें कि आपके मकान मालिक किस तरह, मरम्मत के मानदंडों को पूरा करने में असफल रहे हैं। यदि ज़रूरत हो तो आगे का ब्योरा अलग कागज पर लिख सकते हैं। यदि ऐसा करना पड़े तो कृपया कागज के ऊपर अपना नाम और पता लिख दें ताकि साफ़ तौर पर पता चल सके कि यह आपके आवेदन का हिस्सा है।

5. आवश्यक कार्य की प्रकृति

खंड 5 में कृपया हमें बतायें कि आपके घर को मरम्मत मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए आपकी राय में क्या कार्य आवश्यक है। कृपया समस्या के बारे में विस्तार से बतायें और यह भी लिखें कि उसके कारण आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। यदि इस समस्या से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो कृपया वह भी बतायें और संभव हो, तो उसका सबूत, जैसे कि GP का पत्र भी संलग्न करें।

6. मध्यस्थता

जहाँ कहीं "संबद्ध पक्षों द्वारा विवाद को सुलझा लेने की पर्याप्त संभावना रहती है", वहाँ अध्यक्ष को यह अधिकार है कि मामले को **prhc** (एक समिति) के पास भेजने में देर करे। यह उचित भी हो सकता है, जैसे कि उन मामलों में जहाँ कोई साधारण ग़लत–फ़हमी हो गई हो, जिसे सुलझाया जा सकता हो।

prhp मध्यस्थता का विकल्प भी देते हैं। मध्यस्थता, विवादों को अनौपचारिक ढंग से निपटाने का एक तरीका है, जो दोनों पक्षों को प्रशिक्षित मध्यस्थता की मदद से ऐसे समझौते तक पहुँचने में मदद देता है, जो दोनों पक्षों के हित में हो। मध्यस्थता का तरीका व्यावहारिक, गोपनीय, शीघ और मुफ़्त है। बहुत से लोगों को विवाद निपटाने के लिए मामले–मुकदमें की सुनवाई के बजाय मध्यस्थता कहीं अधिक सरल और सुविधाजनक लगती है। कृपया कुछ समय निकालकर मध्यस्थता के बारे में **prhp** के दिशा–निर्देश पढ़ें, जिसमें इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। यदि आप ऐसे संकेत देते हैं कि आप मध्यस्थता में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो हम आपके मकान मालिक से संपर्क कर पूछेंगे कि क्या वह भी इसके लिए राज़ी है। मध्यस्थता तभी की जा सकती है जब दोनों पक्ष सहमत हों।

यदि मध्यस्थता के बावजूद मामले का हल नहीं होता, तब आपका आवेदन समिति के पास भेज दिया जायेगा, जैसे कि मध्यस्थता हुई ही न हो।

7. हस्ताक्षर

कृपया घोषणा–पत्र को निर्देशानुसार पूरा करें और खंड 4 में बताये गये दस्तावेजों को संलग्न करना याद रखें। अपने आवेदन के साथ आपने जो–जो जानकारी दी है, उस बॉक्स पर निशान (✓) लगाकर बतायें।